अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 554/2013–14

फकीरचन्द दास एवं 6 अन्य बनाम कैलु मंडल एवं 3 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उभय पक्ष इस वाद की प्रश्नगत भूमि को बयनामा के आधार पर हासिल होने तथा दखल कब्जे में होने का दावा करते हैं अवेदकगण दस्तावेज दिनांक–11.05.1994 रामविलास राय बनाम शंभू खतवे वगै0 से पुराना खाता नं0–387 खेसरा नं0–1621 पुराना, 2488 नया, से 01 कट्ठा 07 धुर पवित्तर दास वगै0 के नाम दस्तावेज दिनांक–26.06.2007 से गीता देवी पति राजकुमार राय बनाम फकिरचन्द दास से खाता नं0–387 पुराना, खेसरा नं0–1621 पुराना, 2489 नया से 06 धुर तथा दस्तावेज दिनांक–18.06.2007 रामविलास राय बनाम फकिरचन्द दास से खाता नं0–387 खेसरा नं0–1621 पुराना, 2490 नया, से 01 कट्ठा 07 धुर भूमि एवं 01 कट्ठा 01 धुर कुल–04 कट्ठा 01 धुर भूमि प्राप्त करने का दावा किया है, जबकि विपक्षी दो केवाला दस्तावेज दिनांक–04.04.2005 द्वारा बी बी अकबरी बेगम बगैरह से अपने नाम हासिल होने के आधार पर दावा किया है जिस दोनो दस्तावेज में 02 कट्ठा 08 धुर एवं 02 कट्ठा 08 धुर कुल 04 कट्ठा 16 धुर भूमि दर्ज है। विपक्षी के अनुसार मौजा–शंकरपुरी कंशी थाना सिमरी थाना नं0–117 में अवस्थित खाता नं0–387 खेसरा नं0–1621 पुराना, पूर्व में घनु खतवे की मौरूसी जमीन थीं जिसे धनु खतवे ने 04 कट्ठा 16 धुर भूमि को दिनांक–10.02.1942 को मो0 नजीउद्दीन से बयनामा कर दखल कब्जा दे दिया। मो0 नजीउद्दीन को दो पुत्र–मो0 मुर्तुजा एवं मो0 मुजतवा हसन हुए जो मो0 नजीउद्दीन के मरनेपरान्त काबिज दाखिल हुए। मो0 मुर्तुजा ने अपने हिस्से की 02 कट्ठा 08 धुर भूमि दिनांक–20.06.1982 को अकबरी बेगम को बिक्री कर दाखिल काबिज कर दिया। तदुपरान्त बीबी अकबरी बेगम वो मो0 मुजतवा हसन ने दो दस्तावेज द्वारा दिनांक–04.04.2005 को उक्त 04.16 धुर भूमि को दो दस्तावेज सं0 4334 एवं 4335 द्वारा विपक्षी कैलु मंडल को बयनामा कर दिया	11/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

जिस पर विपक्षी दाखिल काबिज होने का दावा करते है।

अभिलेख पर उपलब्ध स्थिति एवं सुनने से विदित होता है कि विपक्षी के बिक्रेता मो0 मुजतवा के पिता मो0 नजीउद्दीन को खतियानी रैयत धनु खतवे से ही प्रश्नगत भूमि प्राप्त है। इस प्रकार रामविलास राय विशुन राय एवं गीता देवी द्वारा उक्त भूमि किस परिस्थिति में एवं कैसे आवेदकों को बिक्री की गई आश्चर्य परिलक्षित होता है। सुनने के समय आवेदकों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका कि उनके बिक्रेताओं को प्रश्नगत भूमि कैसे प्राप्त हुई थी और नहीं आवेदकों ने अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण ही प्रस्तुत किया है।

यह भी विदित होता है कि रामविलास राय, विशुन राय एवं गीता देवी ने आवेदकों को प्रश्नगत भूमि वर्ष 2007 में केवाला किया है, जबकि विपक्षी का केवाला वर्ष 2005 का है। इससे यह विदित होता है कि विपक्षी का कब्जा वर्ष 2005 से है और आवेदकगन वर्ष 2007 में केवाला प्राप्त कर दखल कब्जा करना चाहते है और इसी का परिणाम वर्तमान वाद की है जिसमें आवेदकों ने अपने वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि पर अपने Title को declare करने के अनुतोष की याचना की है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में Complex question of adjudication of title involve है जिसका निदान सिर्फ व सिर्फ व्यवहार न्यायालय से ही संभव है।

अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के तहत इस मामले को Close किया जाता है। व्यथित पक्षकार चाहे तो अपने दावे के उपचार के निमित सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र है।

इसी आदेश के साथ प्रस्तुत कार्रवाई को Drop किया जाता है।

अभिलेख संचिकास्त करें।

लेखापित एव शुद्धित

11/08/14

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

11/08/14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।